राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

जयपुर, दिनांक 26.11.2021

अधिसूचना

एस.ओ.......... राजस्थान व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन तथा नियत्रंण) आदेश, 1980 के खण्ड 18 के उप-खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और केन्द्र सरकार के आदेश एस.ओ. 4146(अ) दिनांक 08.10.2021 के अनुसरण में राज्य सरकार एतदद्वारा किसी डीलर एवं उत्पादक द्वारा किसी भी एक समय कब्जे में रखे जाने वाले सभी प्रकार के खाद्य तेलों, तिलहनों की अधिकतम भण्डारण मात्राएँ इसके द्वारा निम्नानुसार नियत करती है:-

नाम वस्तु	थोक डीलर	खुदरा डीलर	दिनांक 01.01.2021 तक कार्यरत खाद्य तेल उत्पादक		दिनांक 01.01.2021 के पश्चात कार्य प्रारम्भ करने वाले खाद्य तेल उत्पादक	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			तिलहन	खाद्य तेल	तिलहन	खाद्य तेल
1 तिलहन सरसों, रायडा तोरियां, तारामीरा तथा रेपसीड	2000 क्वि.	100 क्वि.	गत तीन वर्षों में काम में लिए गये तिलहनों के किसी एक वर्ष के (अधिकतम) स्टॉक का औसत 45 दिवस के बराबर, तिलहन	--	मिल की एक वर्ष की खाद्य तेलों की स्थापित उत्पादन क्षमता हेतु वांछित तिलहनों का औसत 30 दिवस के बराबर, तिलहन	--
2 खाद्य तेल सरसों, रायडा तोरियां, तारामीरा तथा रेपसीड	300 क्वि.	10 क्वि.	--	गत तीन वर्षों में उत्पादन की गई खाद्य तेलों के किसी एक वर्ष के (अधिकतम) स्टॉक का औसत 30 दिवस के बराबर, खाद्य तेल	--	मिल की एक वर्ष की खाद्य तेलों की स्थापित उत्पादन क्षमता का औसत 30 दिवस के बराबर, तिलहन

यह अधिसूचना राजकीय राज पत्र में प्रकाशन की दिनांक से लागू होगी तथा दिनांक 31.03.2022 तक प्रभावी रहेगी।

एफ. 17(3) खा.वि./न्याय/94-iv

राज्यपाल के आदेश से,

(अलका मीणा)

उप शासन सचिव

क्रमांकःएफ.17(3)खा.वि./न्याय/94-iv जयपुर, दिनांक 26.11.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, गृह/कृषि/राजस्व, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंत कृषि भवन।
6. निजी सहायक, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त।
7. सभी संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
8. समस्त जिला कलेक्टर (रसद), राजस्थान।
9. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
10. उपभोक्ता मामले निदेशालय, राजस्थान के सभी अधिकारी।
11. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक और उनके अधीन उपअधीक्षक रैंक के समस्त पुलिस अधिकारी, राजस्थान।
12. समस्त उपखंड अधिकारी/तहसीलदार, राजस्थान।
13. समस्त अधिकारी, खाद्य विभाग मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
14. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, खाद्य विभाग को भेज कर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन आज ही गजट में करवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें और जनसाधारण के अवलोकन के विभागीय वेबसाइट पर आज ही अपलोड करें।
15. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान से अनुरोध है कि इसे आज ही राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कर 50 प्रतियां उपलब्ध कराएं।
16. राजस्थान खाद्य व्यापार संघ, बी-20, चांदपोल बाजार, जयपुर।
17. गार्ड फाइल।

उप शासन सचिव